संख्या–1803/8–3–2010–93एल0यू0सी0/2008

प्रेषक,

डा0 जे0एन0चैम्बर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 6 **जुलाई, 2010**

विषयः महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1716(53)एल0यू0सी0/97–आ–3–99 दिनांक 15 जुलाई, 1999 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– नगरों की महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26 एल0यू0सी0/91 दिनांक 21 अगस्त, 2001 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–3351/9–आ–3–04–12 विविध/2004 दिनांक 23 अगस्त,2004 समस्त विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों हेतु निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश प्रदेश के विनियमित क्षेत्रों को न तो सम्बोधित है और न ही पृष्ठांकित। समस्त विनियमित क्षेत्रों के लिए निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण हेतु वर्तमान में शासनादेश संख्या–1716(53)एल0यू0सी0/97–आ–3–99 दिनांक 15 जुलाई, 1999 प्रभावी है। एकरूपता एवं पारदर्शिता की दृष्टि से समस्त विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा समस्त विनियमित क्षेत्रों में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना हेतु एक ही नीति लागू होनी चाहिए।

3– अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा समस्त विनियमित क्षेत्रों के लिए समान

रूप से निम्न भू–उपयोग परिवर्तन से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क की दरें निर्धारित की जाय।

4– अतएव शासनादेश संख्या–1716(53) एल0यू0सी0 / 97–आ–3–99 दिनांक 15 जुलाई, 1999 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना हेतु एकरूपता एवं पारदर्शिता की दृष्टि से समस्त विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के लिए प्रभावी शासनादेश संख्या–3712 / 9–आ–3–2000–26एल0यू0 सी0 / 91 दिनांक 21 अगस्त, 2001 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–3351 / 9–आ–3–04–12 विविध / 2004 दिनांक 23 अगस्त,2004 प्रदेश के समस्त विनियमित क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जाता है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डा0 जे0एन0चैम्बर
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) / 8–3–2010–93एल0यू0सी0 / 2008

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0लखनऊ।
2– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष,समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
संयुक्त सचिव।
6/07/10